न्यायालय श्रीमान म0 प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

R-3593/III/13

116

दयाराम तनय बृजभूषण यादव निवासी ग्राम डुड़ियन खेरा देवरदा तह. वल्देवगढ जिला टीकमगढ म0 प्र0

.....निगराकार

बनाम

1. रामकिशोर तनय अर्जुन प्रसाद यादव निवासी ग्राम देवरदा तह. वल्देवगढ जिला टीकमगढ म0 प्र0
2. न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ म0 प्र0 द्वारा म0 प्र0 शासन राजस्व

.....प्रतिनिगराकारगण

निगरानी प्रतिकूल आदेश न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 8निग./02-03 आदेश दिनांक 7.11.2002 के जिस के अनुसार निगराकार के स्वामित्व में दखल रहित भूमि का व्यवस्थापन उसके श्रमिक कृषक होने के कारण- 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से आधिपत्य होने के कारण दी गई थी के बाबजूद व्यवस्थापन आदेश क्र. 181/अ-1984/1995-96 दिनांक 26.03.1996 को निरस्त किये जाने के कारण तथा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू. रा. सहिता 1959

महोदय,

निगराकार निगरानी के माध्यम से सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

संक्षिप्त सार :- प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि निगराकार का भूमि खसरा नं. 156/1 रकवा 0.809 आरे एवं 226 रकवा 0.246 एकत्र रकवा 1.055 आरे पर निगराकारगणो का सम्बत् 2035-36 अर्थात सन् 1978-79 से निरन्तर आधिपत्य में रहने के कारण कथित कृषि भूमि का व्यवस्थापन निगराकारगणो के ह में वर्ष 1995-96 में किया गया था । कथित कृषि भूमि दखल रहित के अधीन थी तथा निगराकारगण पूर्ण रूप से श्रमिक कृषक थे उनके पास जीवन यापन के लिये

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3599-तीन/2013 जिला टीकमगढ़ दयाराम विरूद्ध रामकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 8निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2002 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-09-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
7.1.19